

प्रेषक,

लहरी यादव,  
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2017

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय संख्या- 7 /2017/बी-2-537/दस-2017-1/2017, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में नगरीय निकायों हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 6946.8750 करोड़ की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.10% धनराशि (संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु) को छोड़कर शेष 94.9% धनराशि **रूपये 6592.5843 करोड़ (छः हजार पाँच सौ बयानवे करोड़ अट्ठावन लाख तैंतालीस हजार मात्र)** में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एवं अगस्त ) में स्वीकृत धनराशि **रूपये 2746.9102 करोड़** को घटाते हुए शेष धनराशि **रूपये 3845.6741 करोड़ (तीन हजार आठ सौ पैंतालीस करोड़ सड़सठ लाख इकतालीस हजार मात्र)** संस्तुति संख्या-53 के अनुसार नगरीय निकायों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	निकाय	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रूपयों में)
1.	नगर निगमों हेतु	1538.2696
2.	नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों हेतु	1538.2696
3.	नगर पंचायतों हेतु	769.1349
	योग	3845.6741

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का पालन करते हुए ए.टी.आर. की संस्तुति संख्या-54 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निकायों को धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

क्रमशः-2

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निकायों को आवंटित धनराशि सात बराबर भागों में प्रतिमाह कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) केन्द्रीयकृत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन अंशदान से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान दी जा रही धनराशि में से किया जायेगा।

(4) यदि किसी निकाय के समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो सम्बन्धित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि सम्बन्धित निकाय को आवंटित किया जाय।

(5) निकाय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेंगे तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(6) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा:-

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड़ में)
1.	नगर निगमों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 191-नगर निगमों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	1538.2696
2.	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	1538.2696

क्रमश:-3

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड में)
3.	नगर पंचायतों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	769.1349
		योग	3845.6741

भवदीय,

लहरी यादव  
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं  
विशेष सचिव।

संख्या-14/2017/बी-2-1197(1)/दस-2017-1/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

लहरी यादव  
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं  
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।